पत्र सं0–वैट/विधि–1(2)–पत्रा0–7–(09–10)समाधान योजना–218/0910020 /वाणिज्य कर।
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: जून 9 , 2009

समस्त जोनल एडीशनल कश्मिनर ग्रेड–1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अविभाजित सिविल संकर्म संविदाकारों तथा विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 (दि0 1–1–08 से 31–3–08 तक) तथा आगे के वर्षों के लिए पत्र संख्या–क0नि0–2–1278/ग्यारह–2009–9(2)/ 08, दिनांक 9–6–2009 द्वारा एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिए समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश/प्रार्थनापत्र व शपथ–पत्र/अनुबन्ध के प्रारुप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया आप अपने स्तर से अपने जोन के अधिकारियों, अधिवक्ता संघों तथा व्यापार कर संघों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

3– दि0 1–1–08 से अभी तक प्राप्त संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रार्थनापत्र देय समाधान राशि के जमा के प्रमाण के साथ दि0 24–6–09 अथवा संविदा की तिथि से 30 दिन के अन्दर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

4– योजना को अधिक व्यावहारिक तथा उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश बाद में निर्गत किये जायेंगें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

ह0/9–6–09
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–क0नि0–2–1278/ग्यारह–2009–9(2)/ 08, दिनांक 9–6–2009 के संदर्भ में।

2– समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय।

3– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(वाई0एस0सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर,मु0।

दिनांक 1-1-2008 से सिविल संकर्म संविदाकारों एवं विद्युत संविदाकारो द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत देयकर के विकल्प में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि दिये जाने संबंधित समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में शासन के निर्देश।

(अ) सिविल संकर्म संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान योजना:-

(1) सिविल संविदाकार से तात्पर्य ऐसे संविदाकारों से है जो नीचे प्रस्तर (क) में उल्लिखित कार्य को करते हैं अथवा प्रस्तर (क) में उल्लिखित कार्य के लिए हुई संविदा के अधीन प्रस्तर (क) के कार्य के साथ-साथ प्रस्तर (ख), (ग), (घ) और (ड़) में उल्लिखित कार्य या समस्त कार्य करते है -

- (क) सिविल कार्य अर्थात् भवनों, पुलों, सड़को, बांधों, शेड्स, बैराजों, काजवे, उत्पलमार्ग (स्पिलवेज), डाईवर्जनों का निर्माण, मरम्मत तथा ड्रेनेज व सिवरेज से सम्बन्धित कार्य।
- (ख) स्ट्रैक्चर, दरवाजे, खिड़की, फ्रेम, ग्रिल्स, शटर्स तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुऐं यदि वह संविदा स्थल पर बनाकर उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये।
- (ग) टाइल्स, स्लैब, पत्थरों तथा शीट्स आदि का लगाना यदि वह उपरोक्त (क) में प्रयोग की जायें।
- (घ) उपरोक्त (क) में अंकित संविदा कार्यो का विद्युतीकरण तथा प्लम्बिंग से सम्बन्धित सभी कार्य।
- (ड़) भवनों की रंगाई व पुताई का कार्य।

(2) समाधान राशि का आंकलन अविभाजित संकर्म संविदाओं के सम्बन्ध में संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की कुल धनराशि में से संविदी द्वारा आपूर्ति किये गये ऐसे माल की धनराशि को घटाने के पश्चात् प्राप्त धनराशि पर की जायेगी जिसका उल्लेख संविदा में हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। जिन सिविल संविदाओं में मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा उनमें संविदाकार को प्राप्त होने वाली धनराशि में से अर्थवर्क के सम्बन्ध में संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली धनराशि घटा दी जायेगी तथा अवशेष धनराशि पर समाधान राशि की गणना की जायेगी।

समाधान राशि उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी :-

- (क) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो उसमें उक्त आगणित धनराशि के 2 प्रतिशत की दर से।

(ख) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, उसमें उक्त आगणित धनराशि के 6 प्रतिशत की दर से ।

(3) 1-1-08 को या उसके पश्चात् प्राप्त होने वाली धनराशि पर प्रस्तर (2) के अनुसार समाधान राशि निम्न प्रकार जमा की जाएगी :-

(क) जिन मामलों में प्रस्तर (2) के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में समस्त संविदाओं की आगणित धनराशि रू0 एक करोड़ या उससे अधिक होती है उन मामलों में उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 के अनुसार मासिक रूप से निर्धारित प्रारूप में तथा निर्धारित अवधि में कर विवरणी दाखिल की जाएगी तथा कर विवरणी के साथ देय समाधान राशि भी जमा की जाएगी ।

(ख) अन्य मामलों में त्रैमासिक रूप से निर्धारित प्रारूप में तथा निर्धारित अवधि में कर विवरणी दाखिल की जाएगी तथा कर विवरणी के साथ देय समाधान राशि भी जमा की जाएगी ।

निर्धारित समयावधि में समाधान राशि न जमा करने पर ऐसे संविदाकारों द्वारा 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अर्थदण्ड भी लगाया जाएगा ।

(4) जो संविदाकार देय कर के स्थान पर धारा 6 में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते है वह ऐसे प्रार्थना-पत्र कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रारूप में संविदा की तिथि से 30 दिन में अपने कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । जो धनराशि संविदी द्वारा काटी जा चुकी है, उसके लिए फार्म XXXI में प्रमाण पत्र देने पर धारा 34 में की गई कटौती की धनराशि समाधान राशि में से घटा दी जायेगी । निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में संविदाकार द्वारा विकल्प अगले 60 दिन के अन्दर देय समाधान राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज की धनराशि के साथ दिया जा सकता है ।

दिनांक 1-1-2008 से समाधान योजना परिपत्रित किये जाने की तिथि तक प्राप्त संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रार्थना-पत्र देय समाधान राशि के जमा के प्रमाण के साथ कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा योजना परिपत्रित किये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर अथवा संविदा की तिथि से 30 दिन के अन्दर जो भी पश्चात्वर्ती हो, तक प्रस्तुत किए जा सकते है ।

(5) यह योजना वर्ष 2007-2008 (दिनांक 1-1-08 से) से आगे के वर्षो के लिए लागू की जा रही है । किसी संविदाकार के लिए इस बात की अनुमति नही होगी कि वह अपनी प्रस्तर (1) में अंकित सम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प दें । वर्ष 2007-

2008 (दिनांक 1-1-2008 से) व आगे के वर्षो के लिए सभी संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान योजना का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा।

(6) जो संविदाकार एक से अधिक जनपदों में कार्य करते है वह संविदा की तिथि से 30 दिन के भीतर उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 6 के अनुसार एक मुख्य व्यापार स्थल की घोषणा करेंगे और मुख्य व्यापार स्थल जिस कर निर्धारक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है समाधान प्रार्थना पत्र वहीं प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी सूचना उक्त अवधि में ही उन सभी कर निर्धारक अधिकारियों को देंगे जिनके अधिक्षेत्र में संविदा का निष्पादन किया जा रहा है।

(7) धारा 6 में समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात् सम्बन्धित संविदाकार उसे वापस नही ले सकेगा।

(8) समाधान राशि पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 33 में भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी।

(9) यदि किसी संविदाकार से धारा 34 के अन्तर्गत की गयी कटौती की धनराशि उसके द्वारा देय समाधान राशि से अधिक हो तो अधिक जमा धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी।

(10) जहॉ पर आंशिक या पूर्ण कार्य उप संविदाकारों द्वारा किया जा रहा है वहां पर मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान योजना स्वीकार कर ली गयी हो तो उप संविदाकार (सब कान्ट्रैक्टर) को किये गये भुगतान की धनराशि मुख्य संविदाकार की धनराशि में तभी घटाई जाएगी जब यह प्रमाणित हो जाए कि उप संविदाकार उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत है और उसके द्वारा दाखिल विवरणी में उपरोक्त धनराशि शामिल कर ली गयी है। यदि मुख्य संविदाकार प्रस्तर 2(क) के अनुसार समाधान योजना के पात्र है परन्तु उप संविदाकार प्रस्तर 2(क) से भिन्न शर्त के अनुसार संविदा निस्तारण करता है अर्थात 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग संविदा के निष्पादन में करते है तो ऐसे उप संविदाकारों को प्रस्तर 2(ख) के अनुसार समाधान राशि देनी होगी।

(11) यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई गलत विवरण दिया गया हो तो कर निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह एकमुश्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में संविदाकार से हुए अनुबन्ध को निरस्त कर सके तथा नियमानुसार कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही कर सके।

(12) धारा 6 के अंतर्गत स्वीकार की गयी समाधान राशि के संबंध में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 56 के अंतर्गत पुनरीक्षणीय होगा।

(13) सिविल संविदाओं के विवाद के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर आवश्यक

निर्देश दे सकते है।

(14) योजना को व्यवहारिक व उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर आवश्यक निर्देश दे सकते है।

(15) संविदाकार को अनुबन्धवार आयातित माल के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक विवरण के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि संविदाकार जांच के दौरान आयातित माल का प्रयोग अनुबन्ध के निस्तारण में किया जाना सिद्व नही कर पाता है तो ऐसे आयातित माल की खरीद पर भाड़ा तथा अन्य खर्चो को जोड़ते हुए आई धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्वि करते हुए उसकी बिक्री निर्धारित की जायेगी तथा नियमानुसार कर आरोपित किया जायेगा साथ-साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जायेगी।

(16) समाधान योजना को अपनाने वाले संविदाकार या उप संविदाकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नही मिलेगा।

(17) संविदा के निष्पादन में अन्तरित होने वाले माल के अतिरिक्त किसी माल की बिक्री पर नियमानुसार कर देय होगा।

(18) संविदाकार द्वारा एक बार समाधान योजना में शामिल होने से सम्बन्धित. प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त अन्य अनुबन्धों के सम्बन्ध में समाधान योजना हेतु पुनः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होगी, केवल प्राप्त अनुबन्ध की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को अनुबन्ध प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर देनी होगी।

(ब) विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान योजना:-

(I) विद्युत संविदाकार से तात्पर्य ऐसे संविदाकार से है, जो निम्न कार्य में से कोई कार्य या समस्त कार्य करते हों :-

- (क) भवनों के अन्तः या वाह्य वायरिंग जिसमे बिजली के पोल, केबिल, ओवर हेडलाइन, स्ट्रीट लाइटिंग की आपूर्ति एवं स्थापना शामिल है।
- (ख) मेन स्विच, डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड, कन्ट्रोल पेनल की आपूर्ति एवं स्थापना।
- (ग) ट्यूब फिटिंग्स, लैम्प शेड्स, ब्रेकेट्स की आपूर्ति एवं स्थापना तथा पंखो की स्थापना।
- (घ) ऊर्जा वितरण उपकरण अर्थात स्विच गेयर, पेनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की आपूर्ति एवं स्थापना।
- (ड़) अर्थिंग उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापना।
- (च) विद्युत अधिष्ठानों / उपकरणों की मरम्मत हेतु उक्त सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना।

(2) समाधान की राशि निम्न प्रकार आगणित की जाएगी :-

(क) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो उसमें निष्पादित ठेके की धनराशि के 2 प्रतिशत की दर से।

(ख) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, उसमें निष्पादित ठेके की धनराशि के 6 प्रतिशत की दर से।

(3) 1-1-08 को या उसके पश्चात् प्राप्त होने वाली धनराशि पर प्रस्तर (2) के अनुसार समाधान राशि निम्न प्रकार जमा की जाएगी -

(क) जिन मामलों मे प्रस्तर (2) के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में समस्त संविदाओं की आगणित धनराशि रू0 एक करोड़ या उससे अधिक होती है उन मामलों में उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 के अनुसार मासिक रूप से निर्धारित प्रारूप में तथा निर्धारित अवधि में कर विवरणी दाखिल की जाएगी तथा कर विवरणी के साथ देय समाधान राशि भी जमा की जाएगी।

(ख) अन्य मामलों में त्रैमासिक रूप से निर्धारित प्रारूप में तथा निर्धारित अवधि में कर विवरणी दाखिल की जाएगी तथा कर विवरणी के साथ देय समाधान राशि भी जमा की जाएगी।

निर्धारित समयावधि में समाधान राशि न जमा करने पर ऐसे संविदाकारों द्वारा 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अर्थदण्ड भी लगाया जाएगा।

(4) जो संविदाकार देय कर के स्थान पर धारा 6 में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते हैं वह ऐसे प्रार्थना-पत्र कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रारूप में संविदा की तिथि से 30 दिन में अपने कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जो धनराशि संविदी द्वारा काटी जा चुकी है, उसके लिए फार्म XXXI में प्रमाण पत्र देने पर धारा 34 में की गई कटौती की धनराशि समाधान राशि में से घटा दी जायेगी। निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किए जाने की दशा में संविदाकार द्वारा विकल्प अगले 60 दिन के अन्दर देय समाधान राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज की धनराशि के साथ दिया जा सकता है।

दिनांक 1-1-2008 से समाधान योजना परिपत्रित किये जाने की तिथि तक प्राप्त संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प प्रार्थना-पत्र देय समाधान राशि के जमा के प्रमाण के साथ कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा योजना परिपत्रित किये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर अथवा संविदा की तिथि से 30 दिन के अन्दर जो भी पश्चात्वर्ती हो, तक प्रस्तुत किए जा सकते है।

(5) यह योजना वर्ष 2007-08 (दिनांक 1-1-08 से) व आगे के वर्षो के लिए लागू की जा रही है। किसी संविदाकार को इस बात की अनुमति नही होगी कि वह अपनी प्रस्तर (1) में अंकित सम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में अथवा संविदा के कुछ भाग के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प दें। वर्ष 2007-08 (दिनांक 1-1-2008 से) व आगे के वर्षो के लिए सभी संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान योजना का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा।

(6) जो संविदाकार एक से अधिक जनपदों में कार्य करते है वह संविदा की तिथि से 30 दिन के भीतर उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 6 के अनुसार एक मुख्य व्यापार स्थल की घोषणा करेंगे और मुख्य व्यापार स्थल जिस कर निर्धारक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है समाधान प्रार्थना पत्र वहीं प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी सूचना उक्त अवधि में ही उन सभी कर निर्धारक अधिकारियों को देंगे जिनके अधिक्षेत्र में संविदा का निष्पादन किया जा रहा है।

(7) धारा 6 में समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात् सम्बन्धित संविदाकार उसे वापस नही ले सकेगा।

(8) समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 33 में भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी।

(9) यदि किसी संविदाकार से धारा 34 के अन्तर्गत की गयी कटौती की धनराशि उसके द्वारा देय समाधान राशि से अधिक हो तो अधिक जमा धनराशि नियमानुसार वापस की जाएगी।

(10) जहॉ पर आंशिक या पूर्ण कार्य उप संविदाकारों द्वारा किया जा रहा है वहां पर मुख्य संविदाकार द्वारा समाधान योजना स्वीकार कर ली गयी हो तो उप संविदाकार (सब कान्ट्रैक्टर) को किये गये भुगतान की धनराशि मुख्य संविदाकार की धनराशि में से तभी घटाई जाएगी जब यह प्रमाणित हो जाए कि उप संविदाकार उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत है और उसके द्वारा दाखिल कर विवरणी में उपरोक्त धनराशि शामिल कर ली गयी है। यदि मुख्य संविदाकार प्रस्तर 2(क) के अनुसार समाधान योजना के पात्र हैं परन्तु उप संविदाकार प्रस्तर 2(क) से भिन्न शर्त के अनुसार संविदा निस्तारण करता है अर्थात 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग संविदा के निष्पादन में करते है तो ऐसे उप संविदाकारों को प्रस्तर 2(ख) के अनुसार समाधान राशि देनी होगी।

(11) यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई गलत विवरण दिया गया हो तो कर निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह एकमुश्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में संविदाकार से हुए अनुबन्ध को निरस्त कर सके तथा नियमानुसार कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही कर सके।

(12) धारा 6 के अन्तर्गत स्वीकार की गयी समाधान राशि के संबंध में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 56 के अंतर्गत पुनरीक्षणीय होगा।

(13) विद्युत संविदाओं के विवाद के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर का निर्णय अंतिम होगा।

(14) योजना को व्यवहारिक व उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर आवश्यक निर्देश दे सकते हैं।

(15) संविदाकार को अनुबन्धवार आयातित माल के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक विवरण के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि संविदाकार जांच के दौरान आयातित माल का प्रयोग अनुबन्ध के निस्तारण में किया जाना सिद्व नहीं कर पाता है तो ऐसे आयातित माल की खरीद पर भाड़ा तथा अन्य खर्चों को जोड़ते हुए आई धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्वि करते हुए उसकी बिक्री निर्धारित की जाएगी तथा नियमानुसार कर आरोपित किया जायेगा। साथ-साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जायेगी।

(16) समाधान योजना को अपनाने वाले संविदाकार या उप संविदाकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

(17) संविदा के निष्पादन में अन्तरित होने वाले माल के अतिरिक्त किसी माल की बिक्री पर नियमानुसार कर देय होगा।

(18) संविदाकार द्वारा एक बार समाधान योजना में शामिल होने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त अन्य अनुबन्धों के सम्बन्ध में समाधान योजना हेतु पुन: प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होगी, केवल प्राप्त अनुबन्ध की सूचना कर निर्धारण अधिकारी को अनुबन्ध प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर देनी होगी।

अविभाजित सिविल संविदाकारों/विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र

(प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए अलग–अलग)

सेवा में,
कर निर्धारक अधिकारी
खण्ड ————————
वर्ष ——————————

महोदय,

मैं फर्म ——— जिसका मुख्यालय ———————————— पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 में वाणिज्य कर कार्यालय ————————द्वारा पंजीयन प्रमाण–पत्र सं0 ——————दिनांक ———से प्रभावी जारी किया गया है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रीकृत अधिकारी —————— मंडल के कार्यालय में दिनांक —————— को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी/साझीदार —————— हूॅ। मैं यह प्रार्थनापत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूॅ। हमारी फर्म ने उक्त वर्ष में —————— (जिसे आगे तथा संलग्न शपथपत्र में इम्प्लायर कहा गया है) से वर्क कान्ट्रैक्ट का ठेका कार्य लिया है। उस पर देय कर के विकल्प में धारा 6 में दिये गये शासन के निर्देशों को हमने तथा हमारी फर्म के हितबद्व व्यक्तियों ने सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है। यह सब हमें स्वीकार्य है।

(2) उक्त वर्क्स कान्ट्रैक्ट का विवरण संलग्न शपथ–पत्र में है तथा वर्क्स कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है।

(3) मैं वित्तीय वर्ष ——— में उक्त फर्म द्वारा की गयी माल के स्वामित्व के अन्तरण पर देय कर के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के उपबन्धों तथा शासन के निर्देशों के अधीन संलग्न शपथ–पत्र/अनुबन्ध के अनुसार एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूॅ।

(4) उक्त वर्ष के लिये धारा 6 में एकमुश्त राशि रुपये ——— मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है व सम्बन्धित इम्प्लायर ने धारा 34 में कटौती कर ली है जिसके चालान व प्रमाण–पत्र संलग्न हैं और जिनका विवरण नीचे अंकित है।

चालान का विवरण

चालान नं0	तिथि	राशि	बैंक का नाम व शाखा जिसमें राशि जमा की गयी	संलग्न चालान तथा संख्या
1	2	3	4	5

धारा 34 में की गयी कटौती का विवरण

विभाग का नाम व अधिकारी का पदनाम जिसने कटौती की	वर्क्स कान्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट की संख्या व दिनांक	वर्क्स कान्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत इम्प्लायर से प्राप्त भुगतान की तिथि	वर्क्स कान्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत इम्प्लायर से प्राप्त भुगतान की राशि	की गयी कटौती की धनराशि	संलग्नक टी0डी0एस0 प्रमाण–पत्र की संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6

घोषणा

मैं घोषणा करता हूॅ कि इस प्रार्थना–पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य हैं। उनमें कोई भी गलत या अपूर्ण नहीं है और न कोई संगत तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर ——————
पूरा नाम ——————
प्रास्थिति ——————

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हूॅ। यह फर्म —————————— के स्वामी/साझीदार/——————हैं तथा इस प्रार्थना–पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

(प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)
पूरा नाम ————————————
पूरा पता ————————————

घोषणा

मैं——————————उपरोक्त घोषणा करता हूॅ कि शपथ–पत्र/अनुबन्ध के प्रस्तर 1 से 8 तक के अन्तर्गत दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्णतया सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूॅ कि शपथ–पत्र/अनुबन्ध तथा उसके संलग्नक एवं अनुलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्व अन्य सभी व्यक्ति आबद्व रहेगें।

हस्ताक्षर ——————
पूरा नाम ——————
प्रास्थिति ——————

जमा का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री –––––––––––––––––––––– (पूरा पता) ––––––––––––– द्वारा दिनांक –––––– से दिनांक –––––– तक की अवधि में किये गये वर्क्स कान्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट संख्या ––––––– तिथि ––––––कुल राशि रु0 –––––––––– के विरुद्व उन्हें दिनांक –––––––––को रु0–––––––––––– की धनराशि का भुगतान किया गया है । इसके अलावा उन्हें उक्त अवधि में रु0 –––––––––––– मूल्य का मैटीरियल निम्न विवरण के अनुसार दिया गया है :–

अवधि	मूल्य	दिए गए मैटीरियल का नाम	मात्रा	दिए गए मैटीरियल के सम्बन्ध में किए गए/किये जा रहे भुगतान में से काटी गयी राशि	अन्य राशि जिसकी कटौती की गयी तथा कटौती की राशि का प्रकार	भुगतान की गयी राशि	विशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8

उनसे उक्त अवधि में कर के रुप में रु0 –––––––––– की कटौती की गयी है जिसके निम्न प्रकार वाणिज्य कर विभाग के खाते में जमा करा दिया है।

काटी गयी धनराशि	चालान सं0–तिथि चालान	बैंक का नाम व शाखा जहॉ राशि जमा की गयी

प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पूरा नाम व पद –––––––––––––
कार्यालय की मोहर –––––––––––

शपथ पत्र/अनुबन्ध

मैं ....पुत्र श्री ....आयु........................वर्ष स्थाई निवासी (पूरा पता)...शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :–

1. मैं फर्म सर्वश्री...जिसका मुख्यालय................................. ....(पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी/साझीदार/.................................. (प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ–पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से वर्ष 20–––– के लिए धारा 6 में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2. मेरी फर्म के मुख्यालय व शाखाओं का विवरण निम्नवत है :–

क्रम सं0	नाम	पूरा पता	व्यवसाय की प्रकृति	विशेष विवरण
1. 2.	मुख्यालय शाखाएं (अ) (ब) (स)			

3. मेरी फर्म द्वारा उपरोक्त वर्ष में किये गये वर्क्स कान्ट्रैक्ट का विवरण निम्नवत हैः–

इम्लायर का नाम व पता	वर्क का0 एग्रीमेंट की सं0 व तिथि	वर्क का0 एग्रीमेंट की प्रकृति तथा स्थल	ठेके की कुल धनराशि	उक्त वर्ष में प्राप्त धनराशि तिथि राशि	प्राप्त होने योग्य अवशेष धनराशि	धारा–34 में की गई कटौती की धनराशि	इम्प्लायर द्वारा दिये गये मैटीरियल का विवरण		विशेष
							वस्तु	मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8क	8ख	9

4. उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन उपरोक्त वर्क्स कान्ट्रैक्ट पर देय समाधान राशि रु0 .... मेरे द्वारा जमा कर दी गयी है अथवा इम्प्लायर द्वारा कटौती कर ली गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

इम्लायर का नाम व पता	वर्क का0 एग्रीमेंट की सं0 व तिथि	वर्क का0 एग्रीमेंट की प्रकृति तथा स्थल	ठेके की कुल धनराशि	उक्त वर्ष में प्राप्त धनराशि तिथि राशि	प्राप्त होने योग्य अवशेष धनराशि	धारा–34 में की गई कटौती की धनराशि	इम्प्लायर द्वारा दिये गये मैटीरियल का विवरण		विशेष
							वस्तु	मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8क	8ख	9

5. प्रस्तर तीन में अंकित वर्ष में मेरे द्वारा इस शपथ–पत्र में उल्लिखित वर्क्स कान्ट्रैक्ट के अतिरिक्त अन्य कहीं पर कोई भी वर्क्स कान्ट्रैक्ट का कार्य नहीं किया गया है और न किसी वर्क्स कान्ट्रैक्ट के विरुद्व कोई धनराशि प्राप्त की गयी है ।

6क. मा0 उच्च/उच्चतम न्यायालय में मेरे द्वारा कोई रिट याचिका दायर नहीं की गयी है/दायर रिट याचिका वापस ले ली गयी है ।

अथवा

6ख. जो रिट याचिका संख्या..मेरे द्वारा दायर की गयी थी उसे वापस लेने का प्रार्थना–पत्र दिनांक..................................को मा0 उच्च/उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है और उसकी सत्य प्रतिलिपि संलग्न है ।

7. अनुलग्नक–1 में अंकित निर्देशों तथा शर्तो को हमने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म के सभी हितबद्व व्यक्तियों को मान्य है । यदि एकमुश्त समाधान धनराशि की मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाती है तब मेरी फर्म इस शपथ–पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने शासन अथवा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों अथवा दिए गए निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निवाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिए गए निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों तथा निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाही मेरी फर्म के विरुद्व कर सकेगा।

संलग्नक–उपरोक्त

हस्ताक्षर..
पूरा नाम...
प्रास्थिति..